UPSI180037842022
न्यायलय Civil Judge Junior Division/J.M. Mahmudabad, Sitapur
पेठसीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP03730**
परिवद सं - Warrant or Summons Criminal Case/3074/2022
Shanti Devi Vs. Ramlakhan and Others

दि0 15.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेश तलबी नियत है।

पूर्व तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी शान्ती पत्नी रामलखन द्वारा परिवाद अर्न्तगत धारा 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 थाना महमूदाबाद, सीतापुर विपक्षीगण रामलखन, रामपाल, निर्मला देवी, अवधेश कुमार, शान्ती देवी पत्नी अवधेश कुमार, गीता देवी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं0 1 परिवादिनी का पति है तथा विपक्षी सं0 2 व 6 के बहकावे में आकर परिवादिनी को मारता–पीटता है। दिनांक 15.08.2022 को शाम करीब 4.00 बजे विपक्षी सं0 1 परिवादिनी को गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए मारने–पीटने लगा और विपक्षी सं0 2 ता 6 विपक्षी सं0 1 को ललकारा और कहा कि आज इसको मार डालो अन्यथा घर भगा दो। शाम 6.00 बजे दिनांक 15.08.2022 को विपक्षी सं0 1 ने परिवादिनी के सारे कपड़े लेकर घर से भगा दिया। तब परिवादिनी अपने बहनोई छोटेलाल के यहॉ पंहुची तथा उन्हे आपबीती बताया। दि0 16.08.2022 को परिवादिनी के बहनोई छोटेलाल कुछ लोगों को साथ लेकर विपक्षी सं0 1 को समझाने तथा सुलह करने गया तो विपक्षीगण गालियां देने लगे तथा मारने हेतु लाठी–डण्डे निकाल लिये तब बहनोई व अन्य लोग जान बचाकर भाग आये। पुलिस व उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्यवाही नही हुई।

अपने कथन के समर्थन में परिवादिनी की ओर से प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र, जनसुनवाई शिकायत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य अर्न्तगत धारा 200 द0 प्र0 सं0 एवं परिवादी साक्षी सं0 1 रामनरेश व परिवादी साक्षी सं0 2 रामकुमार का बयान अर्न्तगत धारा 202 द0 प्र0 सं0 अंकित करवाया गया है।

बयान अर्न्तगत धारा 200 द0 प्र0 सं0 में परिवादिनी शान्ती देवी ने कथन किया है कि 'मेरे पति के घर के लोगों ने उसको बहका दिया था। घटना वाले दिन बोला हिक घर से निकल जाओ। उसके बाद रामपाल, निर्मला (बहन–बहनोई), अवधेश और शांति (बहन के बेटा–बहू) और मेरे पति की बेटी मीरा देवी पत्नी रमेश ये सब मुझे घर से निकलने को कहने लगे और फिर मुझे सबने लात–घूसे, मुक्के, डण्डा–लाठी से मारा और कहा कि यहॉ तुम्हारा गुजारा नहीं है। भाग जाओं यहॉ से। बस जो कपड़ा पहने थी, वही पहने मैं बहनोई छोटेलाल के घर चली गयी। मेरे बहनोई अगले दिन मेरे पति से सुलह वगैरह की बात किये पर वो लोग फिर झगड़ने लगे। विवाद का कारण यह है कि मेरी कोई संतान नहीं है और सब कहते हैं कि जमीन बेटी को मिलेगी, तुम क्या करोगी लेकर। 45 साल पहले मेरी शादी हुई थी, रामलखन से। रामलखन की बस एक बेटी है।'

परिवादिनी के उपरोक्त धारा 200 द0 प्र0 सं0 के बयान का समर्थन उसकी ओर से परीक्षित परिवादी साक्षी सं0 1 रामनरेश व परिवादी साक्षी सं0 2 रामकुमार ने बयान अर्न्तगत धारा 202 द0 प्र0 सं0 में किया है।

उपरोक्त प्रेक्षण से न्यायालय के मत में विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ मार–पीट किये जाने का मामला प्रथम दृष्टया बनता है। अतः परिवादिनी की ओर से इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण उपरोक्त को अर्न्तगत धारा 323 भा0 द0 सं0 में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं।

क्रमश

:

<u>आदेश</u>

विपक्षी/अभियुक्तगण रामलखन, रामपाल, निर्मला देवी, अवधेश कुमार, शान्ती देवी पत्नी अवधेश कुमार, गीता देवी को धारा 323 भा0 द0 सं0 के अपराध में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक–13.01.2023 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

<u>15.12.2022</u>

<u>अजय/स्टेनो</u>

Digitally signed by Akshita Singh
Date: 2022.12.15 17:04:07 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.